कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital @gmail.com Telefax.05942-236790

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांकः– 3880 / 12–1 दिनांक 29/04/2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,
लो0नि0वि0, भवाली (नैनीताल)।

विषयः– जनपद नैनीताल के विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत खुटानी–भवाली–धानाचूली ओखलकाण्डा–खनस्यू–पतलोट मोटर मार्ग के किमी0 85 में खनस्यू रा0मा0सं0 64 में 42 मी0 स्पान क्लास–ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण के संबंध में। (Proposal No-FP/UK/ROAD/33941/2018)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून पत्रांक 1881 / 12–1: देहरादूनः दिनांक 08.04.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करना चाहे जिसके माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु लम्बित प्रकरणों में वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में अतिरिक्त देय एन0पी0वी0 की धनराशि निम्न प्रकार आंकलित की जाती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में जमा एन0पी0वी0 की धनराशिः– रू0 13,140.00
2. वर्तमान में एन0पी0वी0 की दरः– रू0 10,05,210.00
3. आवेदित भूमि का क्षेत्रफलः– 0.02 है0
4. एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 का आंकलनः– रू0 10,05,210.00 X 0.02
   = रू0 20,104.00
5. भुगतान करने हेतु बकाया एन0पी0वी0 की धनराशिः– = रू0 20,104.00–13,140.00
   = रू0 6,964.00

अतः प्रकरण में बकाया एन0पी0वी0 की धनराशि को कैम्पा कोष जमा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।

कार्यालय–नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर
फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1881 /12-1 :देहरादून:दिनांक 08 अप्रैल, 2026

सेवा में,

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी। (नाम से)
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, नैनीताल। (नाम से)
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा। (नाम से)

विषय :– वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति के भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में ली जाने वाली संशोधित एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के माध्यम से अवगतनीय है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में, जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये 05 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। उन प्रकरणों में भारत सरकार की फाईल संख्या 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 19.01.2022 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार **"ऐसे प्रकरण जिसमें सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत हुये 05 वर्ष से अधिक हो गये है तथा विधिवत स्वीकृति हेतु लम्बित चल रहे है, में एन0पी0वी0 की नवीन (पुनरीक्षित) दरों के अनुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जायेगी"** संशोधित दरों के आधार एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि भारत सरकार के स्तर पर दिनांक 30.01.2026 को सम्पन्न FRCM की बैठक के क्रम में नोडल कार्यालय के पत्रांक 1652/12–1 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित एजेण्डा बिन्दु संख्या–27 में यह उल्लेख करते हुये निर्देशित किया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण न किया गया हो, तो उन प्रकरणों में संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत किये जाने तथा तदनुसार सी0ए0 की संशोधित धनराशि जमा किये जाने के निर्देश दिये गये है, तदोपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना नोडल कार्यालय को ऑनलाईन तथा हार्ड प्रति में उपलब्ध करायी जानी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार अपने–अपने नियत्रांधीन प्रभागीय वनाधिकारियों को वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी बिन्दु प्रकरणों के सापेक्ष ली जाने वाली धनराशि जमा किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु लम्बित प्रकरणों में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल
पंजीकरण संख्या 7232
पत्रावली 12-1
दिनांक 28/04/2026

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

संख्या 1881 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।